Acadms
. II

PRC
19/9/20

राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रप-1) विभाग

क्रमांक प.7(11)राजमेस/एकेड/एम.बी.बी.एस. फीस/2018 जयपुर, दिनांकः 10/9/2020

1706
21/09/2020

आदेश

राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों, झालावाड मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल सोसायटी तथा राजस्थान मेडिकल एज्यूकेशन सोसायटी (राजमेस) के द्वारा संचालित चिकित्सा महाविद्यालयों के एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम में एनआरआई कोटे की सीटों के लिये निर्धारित फीस प्राप्ति के पूर्व के समस्त आदेशों के अतिक्रमण में मंत्रिमण्डलीय आज्ञा संख्या 98/2020 दिनांक 03.09.2020 के अनुसरण में शैक्षणिक वर्ष 2020-21 से एक मुश्त फीस के स्थान पर सेमेस्टर वाईज फीस निम्नानुसार निर्धारित की जाती है:-

शैक्षणिक वर्ष 2020-21 से प्रारंभ होने वाले बैच से प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर की राशि।	30,000 USD (प्रवेश के समय)
शैक्षणिक वर्ष 2020-21 से प्रारंभ होने वाले बैच से तीसरे सेमेस्टर से अंतिम सेमेस्टर तक शेष रहे 7 सेमेस्टरों की राशि।	15,000 USD प्रति सेमेस्टर (सेमेस्टर प्रारंभ होने पर)

1. वर्ष 2020-21 के बैच के उपरांत प्रवेश लेने वाले प्रत्येक आगामी बैच से सम्पूर्ण एम.बी.बी.एस. कोर्स के 9 सेमेस्टर की संकलित फीस में 5 प्रतिशत की दर से बढोतरी करते हुए फीस प्राप्त की जावेगी।
2. भारतीय रूपये में फीस राशि का निर्धारण सेमेस्टर प्रारम्भ होने की दिनांक (यथा 1 अगस्त/1 फरवरी) को यू.एस. डॉलर (USD) के प्रचलित मूल्य के अनुसार निकटतम रूपये 100/- तक किया जावेगा।
3. छात्रों द्वारा पाठ्यक्रम को बीच में ही छोडे जाने पर शेष सेमेस्टरों की प्राप्त होने वाली फीस राशि के बराबर राशि जमा कराने का बॉण्ड लिया जावेगा।
4. यह प्रावधान राज्य के राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों की भविष्य में सृजित होने वाली एन.आर.आई. कोटे की सीटों के लिये भी लागू होगा।

10/9/2020
(सुनील शर्मा)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नाकिंत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा शिक्षा।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा।
4. निजी सचिव, आयुक्त निदेशालय, चिकित्सा शिक्षा।
5. निजी सचिव, निदेशक, राजमेस जयपुर।
6. डीन, झालावाड मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल, झालावाड।
7. समस्त प्रधानाचार्य नियंत्रक, राजकीय मेडिकल कॉलेज, राजस्थान। अजमेर
8. एसीपी, चिकित्सा शिक्षा को विभागीय साईट पर अपलोड करने हेतु।
9. रक्षित पत्रावली।

10.09.2020
वरिष्ठ उप शासन सचिव

No. 41545-6 Acad-II/MCA/2020 Dt. 23/9/20
छायाप्रति निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु
प्रेषित है :- 1. समस्त अति. प्रधानाचार्य इस महा. को।